फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
5055 800 89 8901 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश- 42-अन्य व्यय	230.89	230.89	230.89	230.89	00
योग-	**230.89**	**230.89**	**230.89**	**230.89**	**00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059 01 051 21 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-21-परिक्षेत्रीय/संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गाजीपुर, फर्रूखाबाद, हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण- 24-वृहत निर्माण कार्य	1.00	231.89	230.89	230.89	231.89
योग -	**1.00**	**231.89**	**230.89**	**230.89**	**231.89**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यांश के रूप में रू0 616.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृति है। योजना के क्रियान्वयन में कन्सल्टेंट का चयन/भुगतान तथा प्रदेश मुख्यालय में नियंत्रक कक्ष की स्थापना की जा चुकी है। इन कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 419.20 लाख से शासन से प्राप्त अनुमति के कम में किया जा रहा है। वर्तमान में योजना पूर्णरूप से गतिमान न हो पाने के कारण राज्यांश के रूप में प्रावधानित कुल धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सम्भावित न होने के कारण।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी नि:शुल्क भूमि पर 09 जनपदों में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1.00 लाख का टोकन प्रावधान अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। शासनादेश दिनांक 04-01-2024 द्वारा उक्त 09 जनपदों में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य हेतु कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इन 09 जनपदों में से जनपद देवरिया में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-688, दिनांक 18.03.2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या- 32/2024/662/तीस-3-2024 दिनॉक 20 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in